मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2006/नियम/चार भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये दिये जाने बाबत् ।

संदर्भ - इस विभाग के परिपत्र क्रमांक-1171-:न.पं. 766:4:नि:1:72, भोपाल दिनांक 26-09-1972 ।

संदर्भित ज्ञाप क्रमांक 1171/न.पं.-766/4/नि 1/72 दिनांक 26/9/1972 की प्रति संलग्न है । उक्त ज्ञाप के पैरा 2 के आगे निम्नानुसार पैरा जोड़ा जाता है :-

पैरा 2 (ए) केन्द्र शासन के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 31-12-2003 तक नियुक्त हुये एवं जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अन्तर्गत आते हैं, उनकी नियुक्ति यदि म.प्र. शासन के अन्तर्गत दिनांक 01/01/2005 के उपरान्त निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है तो उन्हें म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 का लाभ दिया जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन. मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita//Puripatia//1/2002&82
Web- http://www.mp.gov.in/finance

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-3/2008/नियम/चा भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 2012

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी न्याय समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

I/Sunita
http/WWW mp.gov.in/finance

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक : 1171-क्र.सं.766:4:नि.1:72, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ, वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये दिये जाने बावत्।

मध्यप्रदेश मूल भूत नियम 65 के नीचे दिये गये जी.आर.ओ.2 के अनुसार सेवा से त्यागपत्र देने पर, यद्यपि उसके तुरंत पश्चात् पुनर्नियुक्ति हो जाती है, अवकाश के प्रयोजन के लिये पूर्व सेवाएं जप्त हो जाती हैं और पुनर्नियुक्ति पर पूर्व में की गई सेवा के फलस्वरूप अर्जित किया हुआ अवकाश समाप्त हो जाता है । भारत सरकार ने उनके मूल भूत नियम 65 के तहत यह निर्णय लिया है कि, जिन प्रकरणों में त्यागपत्र सिविल सर्विस रेग्यूलेशन की धारा 418(बी) के अधीन होने से त्यागपत्र को, त्यागपत्र नहीं माना जाता, ऐसे प्रकरणों में अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र की पूर्व सेवा निरतंर मानी जावेगी । अतः राज्य शासन ने भी निर्णय लिया है कि ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवाएं, जो कि सिविल सर्विस रेग्यूलेशन की धारा 418(बी) के अधीन हो, अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र के पूर्व की सेवाएं निरंतर मानी जावेगीं अर्थात पूर्व में की गई सेवा संबंधी अवकाश का लेखा (बेलेंस) नई सेवा के शेष के हिसाब में जोड़ लिया जायेगा।

2. इसी प्रकार भारत सरकार ने उनके मूलभूत नियम 22 के अधीन यह निर्णय लिया है कि, ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक अपने ही विभाग में अपना (शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिये योग्य मार्ग द्वारा आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन उस पद के लिये हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से उन्हें अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देने के लिये कहा जाए तो, त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण के लिए, यदि नियमों के अंतर्गत अन्यथा देय हो तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए किया जाए । भारत सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय पर विचार कर राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि, राज्य शासन के अधीन ऐसे शासकीय सेवक जो कि अपने ही द्वारा (राज्य शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिये उचित माध्यम से, आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से यदि उन्हें अपने पूर्व पद का त्यागपत्र देने को कहा जाता है तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए, उन्हें पूर्व सेवाओं का लाभ, अन्यथा नियमों के अन्तर्गत देय हो तो, वेतन निर्धारण के लिये भी दिया जयेगा । ऐसे प्रकरणों में वेतन, मूलभूत नियम, 27 का उपयोग कर, निर्धारित किया जाएगा।

3. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियम के मामलों में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्टतः बताई जानी चाहिये कि कर्मचारी ने अन्य नियुक्ति में कार्यग्रहण करने के लिये उचित अनुमति लेकर, त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा । इन आदेशों का विवरण, उपयुक्त प्रमाणीकरण सहित, संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में नोट किया जाना चाहिये । इसके लिये अलग से मंजूरी जारी करना आवश्यक नहीं है ।

4. इन निर्णयों को मध्य प्रदेश मूलभूत नियमों में सम्मिलित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/-

(देवी प्रसाद)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग